

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 174 / 2024 / सरफैसी

बैंक ऑफ बडौदा शाखा कार्यालय-आई ई एसएसआई, सुखेर, एनएच 8, उदयपुर
(राज.) 313001

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 175 / 2024 / सरफैसी

बैंक ऑफ बडौदा शाखा कार्यालय-आई ई एसएसआई, सुखेर, एनएच 8, उदयपुर
(राज.) 313001

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रभूलाल गुर्जर पिता श्री नाथुलाल गुर्जर पता-मकान न. 04, अरिहन्त ग्रीन्स कॉलोनी, टेक्नोय मोटर्स वर्कशॉप के पास, देवाली, गोवर्धन विलास, उदयपुर, राजस्थान। एवं पता- 9, नाथद्वारा, वार्ड न. 21, गायरियों की मगरी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द। एवं पता- खारवा की कुई, बलिचा बाईपास, मुख्य रोड, उदयपुर राजस्थान। एवं पता- ऑफिस नम्बर 2, प्रथम तल, कनोट पैलेस, शोभागपुरा सर्कल, रॉयल राज विलास के पास, शोभागपुरा, उदयपुर राजस्थान।
2. कमलेश चौधरी पुत्र भगवती लाल चौधरी पता-189, सूर्या नगर, आकाश वाणी कोलोनी, मादडी पुरोहितान, उदयपुर, राजस्थान।

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री राम निवास स्वामी अधिकृत बैंक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 30-12-2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को कुल ऋण राशि 13.00 लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (प्रभूलाल गुर्जर पिता श्री नाथुलाल गुर्जर के नाम साम्यिक बंधक दिनांक 09.11.2013 सम्पत्ति जो प्लॉट न. 35, खसरा न. 6508/2253 अक्षांश विला, मौजा ग्राम धुणीमाता, पटवार नाहरमगरा, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट है। जिसकी सीमाएं पूर्व में: प्लॉट न. 38, पश्चिम में: 30 फीट रोड, उत्तर में: प्लॉट न. 34, दक्षिण में: प्लॉट न. 36 स्थित है) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असाफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 31.01.2024 तक 9,70,574.49/- रुपये भुगतान नहीं

जिला कलक्टर
उदयपुर

करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को कुल ऋण राशि 13.00 लाख रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 31.01.2024 तक 9,70,574.49/- रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद दाद (प्रमूलाल गुर्जर पिता श्री नाथुलाल गुर्जर के नाम साम्यिक बंधक दिनांक 09.11.2013 सम्पत्ति जो प्लॉट न. 35, खसरा न. 6508/2253 अक्षांश विला, मौजा ग्राम घुणीमाता, पटवार नाहरमगरा, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट है। जिसकी सीमाएं पूर्व में: प्लॉट न. 38, पश्चिम में: 30 फीट रोड, उत्तर में: प्लॉट न. 34, दक्षिण में: प्लॉट न. 36 स्थित है) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर